44–(08)–35–2025

पटना में दिनांक–08 जुलाई, 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1.	वित्तीय वर्ष 2025–26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अधीन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना) अंतर्गत न्युट्री सिरियल (मिलेट्स) योजना के तहत खरीफ मौसम में मिलेट्स फसल को बढ़ावा देने हेतु मिलेट्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं कुल 4675.00 लाख (छियालीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	**1.**	**स्वीकृत।**

कृषि विभाग

2.	वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य में अनियमित मॉनसून/सूखे/अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना अन्तर्गत धान, मक्का, जूट, दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए 10000.00 लाख (एक सौ करोड़) रू० की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	**2.**	**स्वीकृत।**

कृषि विभाग

3.	वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रबी में गेहूँ बीज विस्थापन दर में वृद्धि के निमित्त कार्यान्वयन हेतु कुल 6500.00 लाख (पैंसठ करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	**3.**	**स्वीकृत।**

कृषि विभाग

4.	वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रबी दलहन (चना) प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 3021.112 लाख (तीस करोड़ इकीस लाख ग्यारह हजार दो सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	**4.**	**स्वीकृत।**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

5.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम –2006 के आलोक में स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल उर्जा की आवश्यकता के मद्देनजर प्राकृतिक गैस को विकल्प के रूप में चयनित किये जाने हेतु बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025 की स्वीकृति के संबंध में।	**5.**	**स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

6. बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम–131ज्ञ (छ) के तहत बिहार राज्य की सीमा के अन्तर्गत सीमा शुल्क (निवारण), विभाग, भारत सरकार द्वारा जब्त किये गये रक्त चंदन काष्ठ का निष्पादन अथवा बिक्री नामांकन के आधार पर भारत सरकार के उपक्रम एम॰एस॰टी॰सी॰ लिमिटेड (मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड) के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **6. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. गया जिलान्तर्गत अंचल–डोभी के मौजा–बख्तौरा, थाना सं०–158 के खाता सं०–34 के विभिन्न खेसरा की कुल रकबा–10.31½ एकड़, किस्म–पुरानी परती (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) बिहार सरकार के स्वामित्व की भूमि बिहार सहकारिता प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान की स्थापना हेतु सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — **7. स्वीकृत।**

विधि विभाग

8. बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्त्तें) (निरसन) नियमावली, 2025 और बिहार विधि सेवा (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्त्तें) (निरसन) नियमावली, 2025 को अधिसूचित करने के संबंध में। — **8. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

9. बिहार राज्य स्थित सैनिक स्कूल, नालन्दा एवं सैनिक स्कूल, गोपालगंज में अध्ययनरत राज्य के छात्रों को पोषाहार मद में दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा विद्यालय के स्थापना व्यय हेतु दिये जानेवाली आर्थिक सहायता को वित्तीय वर्ष 2025–26 से पुनरीक्षित करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **9. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

10. बिहार भवन, बिहार निवास एवं बिहार सदन, नई दिल्ली की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 11 (ग्यारह) पुराने वाहनों को निष्प्रयोजित एवं निलामी करने की शर्त्त पर 07 (सात) नये मारूति सुजुकी सियाज (Maruti Suzuki Ciaz) एवं 04 (चार) नये टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) कुल 11 (ग्यारह) नये वाहनों के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रूपये 2.13 करोड़ (दो करोड़ तेरह लाख रूपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति। — **10. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

11. बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य संरक्षा संवर्ग) नियमालवी, 2025 के गठन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — **11. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

12. बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य विश्लेषक संवर्ग) नियमालवी, 2025 के गठन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — **12. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

13. स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–8(ख) में संशोधन कर इसे 8(ख) एवं 8(ग) के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में। — **13. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

14. CFMS एवं WAMIS को लागू करने में परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य Project Management Consultancy (PMC) एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु M/s PwC Pvt. Ltd. के अधिप्राप्ति एवं इस पर आकलित राशि ₹2,69,96,853/– (दो करोड़ उनहत्तर लाख छियानबे हजार आठ सौ तिरपन रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

15. राज्य में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (CSR Fund) के सतत् अनुश्रवण एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, 2025 (CSR Policy 2025) एवं बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सोसाइटी (CSR Society) के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

16. मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (Human Resource Management System-HRMS) तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (Internal Audit Management System-IAMS) को लागू करने में परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य (Project Management Consultancy, PMC) एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु M/s IPE Global Pvt. Ltd. की अधिप्राप्ति एवं इस पर आकलित राशि ₹4,19,93,760/– (चार करोड़ उन्नीस लाख तिरानबे हजार सात सौ साठ) रूपये मात्र व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **16. स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

17. राज्य स्कीम मद से डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड–सह–अंचल कुढ़नी, जिला–मुजफ्फरपुर में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल ₹65,80,11,000/– (पैंसठ करोड़ अस्सी लाख ग्यारह हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — **17. स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

18. राज्य स्कीम मद से 720 आसन वाले राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, मसानी अचंल–चैनपुर तथा कोल्हुआ, अचंल–अधौरा, जिला कैमूर में संचालित दो (2) आवासीय विद्यालयों का पुनर्निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के अनुसार प्रति आवासीय विद्यालय ₹65,80,11,000/– (पैंसठ करोड़ अस्सी लाख ग्यारह हजार रू०) मात्र की दर पर कुल (₹65,80,11,000X2)=₹131,60,22,000/– (एक सौ एकतीस करोड़ साठ लाख बाईस हजार रू०) मात्र की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति। — **18. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग क्षेत्र में पटना सदर अंचल के मौजा–धीराचक, थाना नं०–16 में स्थित विभिन्न खाता एवं खेसराओं में स्थित कुल रकबा–04 एकड़ (भूमि विवरणी–परिशिष्ट–I) भवन निर्माण विभाग (पुराना लोक निर्माण विभाग), बिहार के स्वामित्व की भूमि को महालेखाकार कार्यालय एवं आवास निर्माण हेतु बिहार वित्त नियमावली के नियम–441 के अन्तर्गत परिशिष्ट–15 में निरूपित प्रावधानों को शिथिल करते हुए भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. बेगूसराय जिलान्तर्गत अंचल–चेरियाबरियारपुर के मौजा–सोनवर्षा, थाना सं०–80, खाता सं०–90 एवं 168 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा–33.44 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–19, बेगूसराय वाहिनी की स्थापना हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

21. बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति–2025 प्रारूप की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

22. ''बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड'' हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 'अंश पूंजी (Share Capital), अनुदान एवं स्थापना' व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 42 अंतर्गत 10500.00 लाख (एक अरब पांच करोड़) रूपये की राशि की बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — **22. स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

23. बिहार राज्य के योजना शीर्ष नाबार्ड ऋण संपोषित राज्य योजनान्तर्गत समस्तीपुर जिला के कार्य प्रमंडल–रोसड़ा अंतर्गत सिंहीया प्रखण्ड के अधीन ''करेह नदी माहेघाट पर माहे से भटण्डी रोड पर उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य'' पुल की लम्बाई–446.420 मी० की कुल प्राक्कलित राशि 6501.610 लाख रूपया (पैंसठ करोड़ एक लाख इकसठ हजार रूपया) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में। — **23. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

24. पथ प्रमंडल समस्तीपुर अंतर्गत मोहिउद्दीननगर (बलुआही) से पतसीया पथ भाया धरमपुर एवं चकला (कुल लंबाई 6.80 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु कुल राशि रू० 3236.52 लाख (रूपये बत्तीस करोड़ छत्तीस लाख बावन हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **24. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

25. पथ प्रमंडल मधेपुरा अंतर्गत चांदनी चौक मधेपुरा (एन.एच. –107) से परसपार (एन.एच.–106) भाया मुरहो, हनुमान नगर (कुल लंबाई 10.813कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹3769.46 लाख (रूपये सैतीस करोड़ उनहत्तर लाख छियालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **25. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

26. पथ प्रमंडल बेतिया अंतर्गत बगहा–सेमरा पथ चैनेज 0.00 से चैनेज 14.00 (कुल लंबाई 14.00 कि०मी०) में एक अदद 2x16मी० आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल सहित चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹6450. 33 लाख (रूपये चौसठ करोड़ पचास लाख तेतीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **26. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

27. पथ प्रमंडल गोपालगंज अंतर्गत बरौली सुरवल मोड़ से नुतन मोड़ भाया कल्याणपुर (कुल लंबाई 7.70कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹3556.34 लाख (रूपये पैतीस करोड़ छप्पन लाख चौतीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 27. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

28. पथ प्रमंडल सहरसा अंतर्गत महुआ बाजार से ग्वालपारा पथ भाया बलेथा, बसनही (कुल लंबाई 9.103कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹3944.59 लाख (रूपये उनतालिस करोड़ चौवालिस लाख उनसठ हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 28. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

29. पथ प्रमंडल नवादा अंतर्गत नवीन, हिसुआ बाईपास (NH-82 पर बगोदर से SH-8 के उर्सा आहर भाया बगोदर करमचक पथ) पथ के चैनेज कि.मी. 0.00 से कि.मी. 2.90 तक निर्माण कार्य हेतु कुल 3519.355 लाख (पैतीस करोड़ उन्नीस लाख पैंतीस हजार पाँच सौ) रूपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 29. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

30. पथ प्रमंडल नवादा जिलांतर्गत लेधा, कझिया, नाद, कूलना कौशी हवार भुमई अकबरपुर पथ (SH-103) तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (कुल लंबाई 13.70 कि.मी.) हेतु 6970.23 लाख (उनहत्तर करोड़ सत्तर लाख तेईस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

31. शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा जिलांतर्गत कुरमुरी से बंधवा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (कुल लंबाई 8.890 कि.मी.) हेतु 3353.24 लाख (तैंतीस करोड़ तिरपन लाख चौबीस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 31. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

32. मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड के भदुआर घाट (पूर्वी तटबंध) एवं झंझारपुर प्रखंड के खैरा घाट (पश्चिमी तटबंध) के मध्य कमला बलान नदी पर 39x24.00 m आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु कुल ₹15412.53 लाख (एक सौ चौवन करोड़ बारह लाख तिरेपन हाजर रूपये) के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 32. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

33. पथ प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत माधोपुर–बहुरूपिया से दुबौलिया चौक (NH-727) कि०मी० 0.00 से 7.00 कि०मी० तक (कुल लम्बाई–7.00 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹ 3170.52 लाख (इकतीस करोड़ सत्तर लाख बावन हजार रूपये) के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **33.** स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

34. पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत बहादुरपुर प्रखण्ड के कपछाही से दाईंग भाया अम्मपट्टी, दशरथपट्टी, गैघट्टी, सतघरा, दरगाहा पथ के चैनेज 0.00 से 5.00 तक (कुल लम्बाई–5.00 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹3960.29 लाख (उनचालीस करोड़ साठ लाख उनतीस हजार रूपये) के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **34.** स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

35. पथ प्रमंडल, ढ़ाका अन्तर्गत चकिया (NH-27) मधुबन पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 10.20 तक (कुल लम्बाई–10.20 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹3857.42 लाख (अड़तीस करोड़ सन्तावन लाख बियालीस हजार रूपये) के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **35.** स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

36. कटिहार जिलान्तर्गत पूर्णियाँ–कटिहार पथ के पुराने संरेखन एन०एच०–131 ए दलन चौक से मनिहारी मोड़ होते हुए कुशवाहा चौक तक कुल लम्बाई–14.00 कि०मी० पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹5566.53 लाख (पचपन करोड़ छियासठ लाख तिरेपन हजार रूपये) के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **36.** स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

37. बिहार युवा आयोग के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में। — **37.** स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

38. बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को हीं 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में। — **38.** स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

39. पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2018 के नियम–2 के उपनियम (ii), 4 के उपनियम (1), 8 एवं 10 में संशोधन करने के संबंध में। **39. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

40. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' अन्तर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं सामान्य वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों, जिन्हें राज्य सरकार के सदृश्य सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत कोई आर्थिक सहयोग देय नहीं हैं, को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः रू० 50,000/–(पचास हजार) एवं रू० 1,00,000/–(एक लाख) की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति। **40. स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

41. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मियों की सेवा प्राप्त किये जाने हेतु कुल रूपये 58,56,34,100/– (अन्ठावन करोड़ छप्पन लाख चौंतीस हजार एक सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। **41. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

42. डिजिटल एग्रीकल्चर {नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कृषि (कृषोन्नति योजना)} के अन्तर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत डाटा इण्ट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कुल 3324.93893 लाख (तेतीस करोड़ चौबीस लाख तेरानवे हजार आठ सौ तेरानवे) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। **42. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

43. केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल (60:40) अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य अंतःक्षेप अवयव (80:20) का वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 14066.66 लाख (एक सौ चालीस करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। **43. स्वीकृत।**